समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 19 August 2026

भारत के मेडिकल कॉलेजों मे कौन पढ़ा सकता है ? NMC के नए नियम से बदल रहा फैकल्टी का नक्शा

Publisher

Published on 01 Nov 2025

भारत में मेडिकल शिक्षा में एक नया मोड़ आ गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने हाल ही में **मेडिकल कॉलेजों मे पढ़ाने वाले फैकल्टी के लिए नए नियम** जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य मेडिकल शिक्षा में गुणवत्ता सुधारना और यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को विशेषज्ञ और योग्य शिक्षक ही पढ़ाएं।

नए नियमों के अनुसार, मेडिकल कॉलेजों में अब केवल **मान्यता प्राप्त और अनुभवी डॉक्टर**, जिनके पास संबंधित विषय में आवश्यक योग्यता और प्रशिक्षण है, ही पढ़ा सकेंगे। यह कदम पिछले वर्षों में शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को लेकर उठाए गए सुझावों के बाद लिया गया है।

NMC ने स्पष्ट किया है कि **फैकल्टी की नियुक्ति मे अनुभव, शोध और प्रशिक्षण** को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले जहाँ केवल डॉक्टरेट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पर्याप्त मानी जाती थी, अब वहां **प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पेपर पब्लिकेशन और शिक्षण कौशल** भी जरूरी माने जाएंगे।

इस बदलाव का सीधा असर मेडिकल कॉलेजों के **शिक्षण ढांचे और छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता** पर पड़ेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि नए नियमों से छात्रों को **व्यावहारिक अनुभव और अप-टू-डेट ज्ञान** मिलेगा। इससे चिकित्सा पेशे में आने वाले नए डॉक्टरों की योग्यता और दक्षता भी बढ़ेगी।

NMC ने यह भी कहा है कि कॉलेजों में **फैकल्टी की संख्या और योग्यता** अब एक तय मानक के आधार पर तय होगी। नए नियम के तहत कम अनुभवी या केवल अकादमिक डिग्री रखने वाले डॉक्टरों को पढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मेडिकल शिक्षा में गुणवत्ता और व्यावहारिक अनुभव का संतुलन बना रहे।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत में मेडिकल शिक्षा में **सुधार और विश्वसनीयता** लाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके जरिए

न केवल छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी बल्कि मेडिकल कॉलेजों की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी।

इसके अलावा, NMC ने यह भी स्पष्ट किया कि **फैकल्टी का प्रशिक्षण और विकास** नियमित रूप से किया जाएगा। यानी हर शिक्षक को नए नियमों और मेडिकल प्रैक्टिस के अनुसार अपने कौशल को अपडेट करना होगा। यह नियम देश भर के मेडिकल कॉलेजों में समान रूप से लागू होंगे।

इस नए दिशा-निर्देश से उम्मीद है कि भारत में **डॉक्टरों की गुणवत्ता और नैदानिक क्षमता** में सुधार होगा। छात्रों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वे **उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुभवी शिक्षक** से सीख सकें।

NMC ने कहा कि यह नियम जल्द ही प्रभाव में आ जाएंगे और सभी मेडिकल कॉलेजों को इसकी अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा, कॉलेजों में फैकल्टी की नियुक्ति, प्रशिक्षण और मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस नए नियम से यह भी संकेत मिलता है कि **भारत मेडिकल शिक्षा मे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा** करने के लिए तैयार है। छात्रों और फैकल्टी दोनों के लिए यह बदलाव चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन लंबे समय में यह स्वास्थ्य क्षेत्र और मरीजों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा।

कुल मिलाकर, NMC के नए नियमों के तहत मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता, अनुभव और प्रशिक्षण अब और सख्त होंगे। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण देना और भारत की मेडिकल शिक्षा को विश्वस्तरीय बनाना है। यह कदम न केवल छात्रों और फैकल्टी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.